राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3746/2024

अब्दुल सोहराब **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव (गृह), गृह मंत्रालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू), लालकोठी, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.07.2025
आदेश की दिनांक : 12.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री चेतन खाण्डल, अभिभाषक
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.03.1998 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कांस्टेबल चालक के पद पर नियुक्त किया गया तथा अपीलार्थी ने दिनांक 19.03.1998 को कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी द्वारा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान पाने का हकदार था प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि अपीलार्थी को यह वेतनमान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित तिथि अर्थात 01.06.2002 के बाद उसके दो से अधिक बच्चे हैं। जब अपीलार्थी ने मामले की जांच की, तो उसे बताया गया कि 01/06/2002 के बाद उसके दो से अधिक बच्चे हैं और इस कारण से उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अपीलार्थी द्वारा 9 साल की सेवा पूरी होने पर जारी की जानी चाहिए थी और अपीलार्थी ने वर्ष 2007 में 9 साल पूरे कर लिए, लेकिन 3 बच्चों के प्रभाव के कारण प्रथम एसीपी का लाभ नहीं दिया गया। जिसका प्रभाव वर्तमान में 5 साल तक रहता है, राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार, उक्त 3 बच्चों का प्रभाव समाप्त हो गया है। जबकि, अपीलार्थी की द्वितीय एसीपी 18 साल की सेवा पूरी होने पर जारी की जानी चाहिए थी और अपीलार्थी ने 2016 में 18 साल पूरे कर लिए, लेकिन एसीबी केस के कारण यह जारी नहीं हुई, जो कि 2013 में दर्ज किया गया था (अनुलग्नक –3)। अपीलार्थी की तृतीय एसीपी 27 साल की सेवा पूरी होने पर जारी की जानी थी और अपीलार्थी ने मार्च, 2025 में 27 साल पूरे कर लिए। लेकिन अब तक अपीलार्थी की उक्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी जारी

नहीं की गई है। अपीलार्थी के बच्चों की अंकतालिका अनुलग्नक–4 पर अंकित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 (अनुलग्नक–5) के द्वारा दिनांक 01.06.2002 के बाद दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति में 3 वर्ष के विलंब के दंड में छूट दी थी और उसे उस वेतन पर पदोन्नति और निर्धारण का निर्देश दिया था जो उसे अभी भी मिल रहा होता, फिर भी इस आदेश को वापस न लेना अपीलार्थी के साथ घोर अन्याय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को प्रथम, द्वितीय और तृतीय चयन वेतनमान (एसीपी) जारी करने और नियमित वेतन वृद्धि सहित सभी परिणामी लाभ जारी करने के आदेश फरमाये जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य